407

प्रेषक,

मिशन निदेशक,
राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन,
विशाल काम्प्लेक्स, 19–ए विधान सभा मार्ग,
उ0प्र0 लखनऊ।

सेवा में,

समस्त मुख्यचिकित्साधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

पत्रांकः एस.पी.एम.यू. / एन.एच.एम. / आर.आई. / 15–16 / 05 / दिनांकः 26 जून, 2015

विषय–नियमित टीकाकरण कार्यक्रम के अन्तर्गत धनराशि अवमुक्त किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

जैसा कि आप अवगत हैं कि एन0एच0एम0 के पत्रांक एस0पी0एम0यू0 / लेखा / 2014–15 / 103(4) / 5986–75 दिनांक 17.03.2015 के द्वारा एन0एच0एम0 के अंतर्गत वर्ष 2014–15 में संचालित महत्वपूर्ण गतिविधियों को वर्ष 2015–16 में अनवरत संचालित किये जाने के सम्बन्ध में जनपदों को दिशा निर्देश निर्गत किये जा चुके हैं।

वर्ष 2015–16 में भी नियमित टीकाकरण कार्यक्रम कार्यक्रम को संचालित किया जाना है। वर्ष 2015–16 हेतु भारत सरकार को प्रेषित पी0आई0पी0 के अनुमोदन की प्रत्याशा में इस वर्ष भी सम्बन्धित गतिविधियां सुनिश्चित की जानी हैं। मिशन निदेशक राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन द्वारा प्रदान किये गये अनुमोदन के उपरान्त संलग्न जनपदवार फॉट के अनुसार नियामित टीकाकरण कार्यक्रम की विभिन्न गतिविधियों में वित्तीय वर्ष 2015–16 हेतु धनराशि राज्य स्वास्थ्य समिति से दिनांक 26 जून, 2015 को जिला स्वास्थ्य समितियों के खाते में ₹ 324103909.00 की धनराशि (रूपये बत्तीस करोड़ इकतालिस लाख तीन हजार नौ सौ नौ मात्र) अवमुक्त कर दी गई हैं। शेष धनराशि आर0ओ0पी0 स्वीकृति पश्चात् बाद में अवमुक्त की जाएगी।

नियमित टीकाकरण कार्यक्रम में निम्न गतिविधियों हेतु धनराशि अवमुक्त की गई है–

1. **C.1.a-** Mobility Support for supervision for distict level officers.@ Rs. 250000/- per District
2. **C.1.e-** Quaterly reviev meeting exclusive for RI at District level with one block MO , CDPO and other stake holder @ Rs 100/- per participant(5 participant / block)
3. **C.1.g-** alternative vaccinator for slums. Hiring of ANM @ 450/-per session for four sessions/month/slum of 10000 population and Rs.300/ month as contingency per slum i.e.Rs.2100/-month/slum of 10000 population.
4. **C.1.h-** Mobilization of children through ASHA or other mobilizes @Rs 150/-per session
5. **C.1.i-** Alternate vaccine delivery in hard to reach areas @ Rs 150/- per session
6. **C.1.j-** Alternate vaccine delivery in other areas @ Rs 75/- per session
7. **C.1.m-** POL for vaccine delivery from state to district and from district to CHC , PHC @ Rs 150000/- per district per year
8. **C.1.n-** Consumables for computer including provision for internet access for RIMS @ Rs 400/- per month per district
9. **C.1.o-** Red / black plastic bags @ Rs 3 per bag and 2 bags per session
10. **C.1.p-** Hub cutter / bleach/hypocloride solution/twin buckets @ Rs 1200/- per PHC/CHC per year
11. **C.2.2-** Computer Assistants support for District level .@ Rs.11000/- per month
12. **C.4-** Cold chain maintenance (@Rs750/PHC/CHC per year,District @Rs 15000/year)
13. **C.5-** Asha Incentive for full immunization @ RS.100 per child for full immunization in first year and Rs.50 per child for ensuring complete immunization up to 2nd year of age.

उक्त धनराशियों का व्यय ''आपरेशनल गाइडलाइन्स फार फाइनेन्शियल मैनेजमेन्ट'' में दी गयी व्यवस्था तथा अन्य प्रभावी संगत नियमों एवं निर्देशों का पालन करते हुये सक्षम अधिकारी की अनुमति प्राप्त करके ही किया जाय। निम्न निर्देशों का अनिवार्यतः पालन सुनिश्चित करें।

1. धनराशि का आवंटन मात्र आपको व्यय करने के लिये प्राधिकृत नही करता, अपितु ऑपरेशनल गाइडलाइन फॉर फाइनेंशियल मैनेजमेन्ट में दी गयी व्यवस्था, वित्तीय नियमों, शासनादेशों, अन्य प्रभावी नियमो/निर्देशों एवं कार्यकारी समिति द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुए, सक्षम प्राधिकारों की स्वीकृति के उपरान्त ही व्यय नियमानुसार किया जाय। जिस कार्यक्रम/मद में धनराशि आवंटित की गयी है उसी सीमा तक व्यय नियमानुसार किया जाये।
2. स्वीकृत मद का पुर्निविनियोग (re-appopriation) राज्य कार्यकारी समिति, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, उत्तर प्रदेश की अनुमति के बिना कदापि न किया जाये। साथ ही साथ यह भी सुनिश्चित किया जाये कि एक कार्यक्रम की धनराशि दूसरे कार्यक्रमों में स्थानान्तरित न की जाये। धनराशि के व्यय में यदि कोई अनियमितता होती है तो इसके लिए आप स्वयं उत्तरदायी होंगे।
3. जिला स्वास्थ्य समित एवं समस्त इकाइयों के वित्तीय अभिलेख कैशबुक, बैंक बुक, लेजर, चैक इश्यू रजिस्टर, स्थायी सम्पत्तियों का रजिस्टर आदि लेखापुस्तकों में सभी प्रविष्टियॉ समय से पूर्ण करुये साथ ही समयानुसार सत्यापन भी सक्षम अधिकारी करना सुनिश्चित करें।
4. जिला स्वास्थ्य समिति एवं समस्त इकाइयों के बैंक समाधान विवरण प्रत्येक माह के अन्त में तैयार करना सुनिश्चित करायें जिससे बैंक खातों तथा सोसाइटी एवं समस्त इकाइयों के लेखों में कोई भिन्नता न रहें।
5. आपके स्तर से समस्त इकाइयों को अग्रिम के रूप में अवमुक्त की गयी धनराशियों के उपयोगिता प्रमाणपत्र प्राप्त करते हुए अपनी लेखापुस्तकों में समायोजन दर्शाना सुनिश्चित करें।
6. प्रत्येक माह का मासिक व्यय विवरण (एफ0एम0आर0) लेखापुस्तकों की प्रविष्टियों से मिलान कर तैयार किया जाये तथा यह भी सुनिश्चित कर लें कि प्रत्येक माह की एफ0एम0आर0 में दर्शायी गयी धनराशि एवं लेखापुस्तकों में प्रविष्टि की गयी धनराशि में मदवार कोई अन्तर न रहें।
7. व्यय से सम्बन्धित समस्त लेखाबहियॉ, बिल बाउचर्स व अन्य अभिलेखों को अपने स्तर पर सुरक्षित रखें एवं नियुक्ति मासिक कान्करेन्ट आडिटर, स्टेटच्यूरी आडिटर, महालेखाकार की आडिट एवं सक्षम निरीक्षण अधिकारी हेतु उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
8. राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत उपलब्ध कराये गये आपरेशनल गाइडलाइन्स फार फाइनेन्शियल मैनेजमेन्ट (अद्यावधिक संशोधित) में दिये गये दिशा निर्देशों एवं प्रक्रिया का पालन समस्त स्तरों पर किया जाना सुनिश्चित करें।
9. भारत के नियंत्रक/महालेखा परीक्षा द्वारा राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, उत्तर प्रदेश, के परफारमेन्स आडिट रिपोर्ट में उठाई गयी मुख्य आपत्तियों के परिप्रेक्ष्य में मुख्य सचिव, महोदय उत्तर प्रदेश शासन के निर्देशों के अन्तर्गत गठित समिति की दिनांक 01.06.2012 को सम्पन्न हुई बैठक में समिति द्वारा की गयी संस्तुतियों की प्रति पत्र संख्या SPMU /NRHM/ACCOUNT/490–8 दिनांक 13.06.2012 के द्वारा करायी गयी है, को संज्ञान में लेना सुनिश्चित करें।

उपरोक्त निर्देशों का पालन प्रत्येक स्तर पर सुनिश्चित किया जाये। नियमों का पालन न करने एवं वित्तीय अभिलेखों का रख–रखाव ठीक न होने के कारण यदि धनराशि का व्यय नियमानुसार नहीं पाया जाता है या अन्य कोई वित्तीय अनियमितता प्रकाश में आती है तो इसके लिये सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारी व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होंगे।

संलग्नक–जनपदवार बजट शीट

भवदीय,

(डा0 वेद प्रकाश),
महाप्रबन्धक, आर0आई0

पत्रांक–एस.पी.एम.यू./एन.एच.एम./आर.आई./15–16/05/2132-75-16 तद्दिनांकः
प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रषित–

1 निजी सचिव, प्रमुख सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ0प्र0 शासन।
2 मिशन निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उत्तर प्रदेश।
3 अपर मिशन निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उत्तर प्रदेश।
4 अधिशासी निदेशक, आई0टी0एस0यू0, रतन स्क्वायर पंचम तल, विधान सभा मार्ग, लखनऊ
5 महानिदेशक, परिवार कल्याण, परिवार कल्याण महानिदेशालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
6 समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
7 वित्त नियंत्रक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उत्तर प्रदेश।
8 संयुक्त निदेशक (आर0आई0), परिवार कल्याण महानिदेशालय, उत्तर प्रदेश।
9 समस्त मण्डलीय अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश।
10 समस्त जिला प्रतिरक्षण अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
11 समस्त मण्डलीय/जिला कार्यक्रम प्रबन्धक, एन0आर0एच0एम0, उत्तर प्रदेश।
12 समस्त महाप्रबन्धक/उपमहाप्रबन्धक, एन0आर0एच0एच0, एस0पी,एम0यू0, लखनऊ।
13 महाप्रबन्धक ~~एम0आई0एस0, एन0एच0एम0 को~~ इस आशय के साथ प्रेषित एन0एच0एम0 की वेबसाइट पर अपलोड कराने हेतु सम्बन्धित को निर्देशित करना चाहें।
14 कार्यक्रम अधिकारी, यूनीसेफ, 3/194, विपुल खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।
15 माइक्रोन्यूट्रिएन्ट इनिशिएटिव (एम0आई0), 2–60 विजय खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
16 एन0पी0एस0पी0 (डब्ल्यू0एच0ओ0), जगत नारायण रोड, लखनऊ।

(डा0 वेद प्रकाश),
महाप्रबन्धक, आर0आई0

TC (Low)
7/10/07